



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 2017/श्रावण 23, 1939

No. 316]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 2017/ SRAVANA 23, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 अगस्त, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2017-18/ 015 — बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में, विनियम 10 में, उप-विनियम (1) में,-
 - i. खंड (घ) में,-
 - क. उप-खंड (ii) में, शब्द "न्यायालय" के पश्चात् और शब्द "या" से पूर्व, शब्द "या अधिकरण (न्यायाधिकरण / ट्रायब्युनल)" अंतःस्थापित किए जाएँगे;

ख. उप-खंड (iii) में, शब्द “न्यायालय” के पश्चात् और शब्द “या” से पूर्व, शब्द “या अधिकरण (न्यायाधिकरण / ट्रायब्युनल)” अंतःस्थापित किए जाएँगे।

ii. खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(घक) दिवाला और शोधन अधमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 का 31] की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसरण में अर्जन;”

iii. खंड (झ) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) उधारदाताओं द्वारा उनके ऋण (डैट) के संपरिवर्तन (कन्वर्जन) [भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) के अनुसार लाई गई ऋण पुनर्संरचना स्कीम (डैट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम) के भागस्वरूप] के अनुसरण में शेयरों का अर्जन:

परंतु यह कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 70 के उप-विनियम (5) के अधीन निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए।”

iv. खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(झक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धांतों / गाइडलाइन्स) के अनुसार लाई गई ऋण पुनर्संरचना स्कीम (डैट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम) के अनुसरण में व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा शेयरों का अर्जन [उधारदाताओं द्वारा उनकी शेयरधारिता बेचे जाने या ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के पक्ष में स्वामित्व में परिवर्तन कराए जाने के समय लक्षित कंपनी (टारगेट कंपनी) द्वारा आबंटन (अलॉटमेंट) या उधारदाताओं से क्रय (खरीद) के माध्यम से]:

परंतु यह कि लक्षित कंपनी (टारगेट कंपनी) द्वारा आबंटन के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अर्जन के संबंध में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 के विनियम 70 के उप-विनियम (6) के अधीन निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए:

परंतु यह और कि उधारदाताओं से शेयरों के क्रय के माध्यम से किए जाने वाले अर्जन के संबंध में, अर्जन को छूट होगी बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए:

(क) क्रय कीमत (खरीद कीमत) तय करने संबंधी दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धांत / गाइडलाइन्स) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं और यह कि क्रय कीमत ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार तय की गई हो;

(ख) क्रय कीमत दो स्वतंत्र अर्हित मूल्यांककों (वैल्यूअर्स) द्वारा प्रमाणित की जाएगी, और इस प्रयोजनार्थ 'मूल्यांकक' वह व्यक्ति होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 तथा उसके अधीन बनाए गए संबद्ध नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो:

परंतु यह कि जिस तारीख को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 तथा संबद्ध नियम लागू (प्रवृत्त) हों उस तारीख तक, मूल्यांकक का अर्थ होगा - बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र मर्चेट बैंककार (बैंकर) या स्वतंत्र पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसे न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव हो);

(ग) इस प्रकार खरीदी गई निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियाँ खरीदे जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए रुद्ध (लॉक-इन) हो जाएँगी;

- (घ) उधारदाताओं से खरीदी गई संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संपरिवर्तन (कन्वर्जन) के अनुसरण में अर्जित किए गए इक्विटी शेयरों की अवरुद्धता (लॉक-इन) की अवधि उतनी कम हो जाएगी जितनी अवधि के लिए संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ पहले ही रुद्ध (लॉक-इन) की जा चुकी हों
- (ङ) खरीदने (क्रय) से पहले निर्गमकर्ता (इश्युअर) के शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित कर दिया गया हो;
- (च) निर्गमकर्ता (इश्युअर), कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू विधि के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरणों (डिस्कलोज़र) के अलावा, प्रस्तावित अर्जनकर्ता (अर्जनकर्ताओं) [एक्वायरर] से संबंधित निम्नलिखित जानकारी, साधारण बैठक [जो उस विशेष संकल्प को पारित करने के लिए बुलाई जानी हो जिसका उल्लेख इस उप-विनियम के खंड (ड) में किया गया है] की सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में प्रकट करेगा:
- क. प्रस्तावित अर्जनकर्ता (अर्जनकर्ताओं) की पहचान और साथ ही उन प्रकृत व्यक्तियों (नैचुरल पर्सन्स) की पहचान, जो खरीदे जाने हेतु प्रस्तावित शेयरों के अंतिम हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) हों और/या जिनका प्रस्तावित अर्जनकर्ता (अर्जनकर्ताओं) पर अंतिम रूप से नियंत्रण हो;
- ख. कारबार का मॉडल (बिज़नेस मॉडल);
- ग. समय के साथ-साथ कारबार (कारोबार) में हुई वृद्धि का विवरण;
- घ. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्त-संबंधी विवरणों आदि का सारांश;
- ङ. कंपनियों की कायापलट (टर्नअराउंड) [यदि कभी हुई हो] करने का पिछला रिकॉर्ड (ट्रेक रिकॉर्ड);
- च. निर्गमकर्ता (इश्युअर) की कायापलट करने हेतु प्रस्तावित खाका (रोडमैप) ।
- (छ) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों (उपबंधों) का पालन किया जाए ।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा. /183/17]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
 - (क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
 - (ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा

- (ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
- (ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा
- (च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
- (छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
- (ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा
- (झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा
- (ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th August 2017

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, in regulation 10, in sub-regulation (1), -
 - i. in clause (d), -
 - a. in sub-clause (ii), after the word “court” and before the word “or”, the words “or a tribunal” shall be inserted;

b. in sub-clause (iii), after the word “court” and before the word “or”, the words “or a tribunal” shall be inserted.

ii. after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(da) acquisition pursuant to a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).”

iii. clause (i) shall be substituted with the following new clause, namely, -

“(i) Acquisition of shares by the lenders pursuant to conversion of their debt as part of a debt restructuring scheme implemented in accordance with the guidelines specified by the Reserve Bank of India:

Provided that the conditions specified under sub-regulation (5) of regulation 70 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are complied with.”

iv. after clause (i), the following new clause shall be inserted, namely,-

“(ia) Acquisition of shares by the person(s), by way of allotment by the target company or purchase from the lenders at the time of lenders selling their shareholding or enforcing change in ownership in favour of such person(s), pursuant to a debt restructuring scheme implemented in accordance with the guidelines specified by the Reserve Bank of India:

Provided that in respect of acquisition by persons by way of allotment by the target company, the conditions specified under sub-regulation (6) of regulation 70 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are complied with:

Provided further that in respect of acquisition by way of purchase of shares from the lenders, the acquisition shall be exempted subject to the compliance with the following conditions:

- (a) the guidelines for determining the purchase price have been specified by the Reserve Bank of India and that the purchase price has been determined in accordance with such guidelines;
- (b) the purchase price shall be certified by two independent qualified valuers, and for this purpose ‘valuer’ shall be a person who is registered under section 247 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules framed thereunder:

Provided that till such date on which section 247 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules come into force, valuer shall mean an independent merchant banker registered with the Board or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years;

- (c) the specified securities so purchased shall be locked-in for a period of at least three years from the date of purchase;
- (d) the lock-in of equity shares acquired pursuant to conversion of convertible securities purchased from the lenders shall be reduced to the extent the convertible securities have already been locked-in;
- (e) a special resolution has been passed by shareholders of the issuer before the purchase;
- (f) the issuer shall, in addition to the disclosures required under the Companies Act, 2013 or any other applicable law, disclose the following information pertaining to the proposed acquirer(s) in the explanatory statement to the notice for the general meeting proposed for passing special resolution as stipulated at clause (e) of this sub-regulation:

- a. the identity including of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be purchased and/ or who ultimately control the proposed acquirer(s);
 - b. the business model;
 - c. a statement on growth of business over the period of time;
 - d. summary of audited financials of previous three financial years;
 - e. track record in turning around companies, if any;
 - f. the proposed roadmap for effecting turnaround of the issuer.
- (g) applicable provisions of the Companies Act, 2013 are complied with.”

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./183/17]

Footnote:

1. The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
 - (a) March 26, 2013 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/36/7368.
 - (b) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
 - (c) May 23, 2014 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (d) March 24, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.
 - (e) May 5, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
 - (f) August 14, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/009.
 - (g) December 22, 2015 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
 - (h) February 17, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.
 - (i) May 25, 2016 by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.
 - (j) March 6, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.